

## ग्रामीण विकास मंत्रालय

## मांग संख्या 80

## ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	31499.50 0.50 31500.00	24.06 ... 24.06	31523.56 0.50 31524.06	56853.50 0.50 56854.00	29.54 ... 29.54	56883.04 0.50 56883.54	51668.75 1.25 51670.00	36.95 ... 36.95	51705.70 1.25 51706.95	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	3451	...	13.56	13.56	...	16.81	16.81	...	21.55	21.55
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2501	1932.50	...	1932.50	2112.50	...	2112.50	2113.75	...	2113.75
	4515	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.25	...	1.25
जोड़	1933.00	...	1933.00	2113.00	...	2113.00	2115.00	...	2115.00	
जोड़ - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1933.00	...	1933.00	2113.00	...	2113.00	2115.00	...	2115.00	
ग्रामीण रोजगार										
3. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (खाद्यान्न संघटक)	2505	...	...	...	6750.00	...	6750.00	...	...	...
4. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष-अंतरण को से	2505 2505	16000.00 -16000.00	...	16000.00 -16000.00	30000.00 -30000.00	...	30000.00 -30000.00	30100.00 -30100.00	...	30100.00 -30100.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं के लिए सहायता	2505	14400.00	...	14400.00	30000.19	...	30000.19	30100.00	...	30100.00
जोड़-ग्रामीण रोजगार आवास	14400.00	...	14400.00	36750.19	...	36750.19	30100.00	...	30100.00	
6. ग्रामीण आवास अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2216	4859.00	...	4859.00	7919.00	...	7919.00	7920.00	...	7920.00
7. डीआरडीए प्रशासन	2515	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00
8. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2515	13.50	9.10	22.60	15.31	11.53	26.84	13.50	14.00	27.50
9. कार्पाट को सहायता	2515	50.00	...	50.00	52.20	...	52.20	50.00	...	50.00
10. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पूरा)	2515	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00
11. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधकीय सहायता एवं जिला योजना प्रक्रियाओं का सुदृढीकरण	2515	67.50	1.40	68.90	67.15	1.20	68.35	67.50	1.40	68.90
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	383.00	10.50	393.50	386.66	12.73	399.39	383.00	15.40	398.40	
सड़क और पुल										
12. केन्द्रीय सड़क निधि-अन्तरण को से	3054 3054	4046.25 -4046.25	...	4046.25 -4046.25	4046.25 -4046.25	...	4046.25 -4046.25	4383.75 -4383.75	...	4383.75 -4383.75
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 13.01 कार्यक्रम संघटक 13.02 ईएपी संघटक	3054 3054	4075.00 3000.00	...	4075.00 3000.00	4975.15 2250.00	...	4975.15 2250.00	7785.00 1350.00	...	7785.00 1350.00
जोड़	7075.00	...	7075.00	7225.15	...	7225.15	9135.00	...	9135.00	
14. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	2850.00	...	2850.00	2460.00	...	2460.00	2017.00	...	2017.00
कुल जोड़	31500.00	24.06	31524.06	56854.00	29.54	56883.54	51670.00	36.95	51706.95	

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	13054	...	7000.00	7000.00	...	8000.00	8000.00	...	3500.00	3500.00
<b>जोड़</b>		...	<b>7000.00</b>	<b>7000.00</b>	...	<b>8000.00</b>	<b>8000.00</b>	...	<b>3500.00</b>	<b>3500.00</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>										
<b>केन्द्रीय योजना:</b>										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1933.00	...	1933.00	2113.00	...	2113.00	2115.00	...	2115.00
2. ग्रामीण रोजगार	12505	14400.00	...	14400.00	36750.19	...	36750.19	30100.00	...	30100.00
3. आवास	22216	4859.00	...	4859.00	7919.00	...	7919.00	7920.00	...	7920.00
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	383.00	...	383.00	386.66	...	386.66	383.00	...	383.00
5. सड़क और पुल	13054	7075.00	7000.00	14075.00	7225.15	8000.00	15225.15	9135.00	3500.00	12635.00
6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	2850.00	...	2850.00	2460.00	...	2460.00	2017.00	...	2017.00
<b>जोड़</b>		<b>31500.00</b>	<b>7000.00</b>	<b>38500.00</b>	<b>56854.00</b>	<b>8000.00</b>	<b>64854.00</b>	<b>51670.00</b>	<b>3500.00</b>	<b>55170.00</b>

1. यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), जो 1.4.1999 से शुरू की गई है, को व्यापक कार्यक्रम के रूप में माना गया है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं अर्थात् ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना तथा उनकी क्षमता का निर्माण, प्रशिक्षण, क्रियाकलाप समूहों की आयोजना, आधारभूत सुविधा का विकास, बैंक ऋण एवं सब्सिडी के जरिए वित्तीय सहायता और विपणन सहायता आदि शामिल हैं। विगत अनुभव से यह भी पता चला है कि यदि प्रयास वैयक्तिक आधार के बजाए सामूहिक आधार पर किए जाएं तो सफलता की दर अधिक होती है। इसलिए, कार्यक्रम में स्वसहायता समूहों के संवर्धन पर जोर दिया जाता है। इसमें निर्धारित प्रमुख क्रियाकलापों में माइक्रो-इण्टरप्राइजेज के विकास में सामूहिक दृष्टिकोण पर भी बल दिया जाता है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और स्वरोजगारियों के चयन तथा परियोजना पूरी होने के बाद की निगरानी आदि की दृष्टि से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्यक्रम के कार्यान्वयन तक शामिल हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच निधियों का वहन 75:25 के अनुपात में किया जाता है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में यह 90:10 के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार योजना के तहत लक्ष्य समूह हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि लक्ष्य समूह में 50% अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां, 40% महिलाएं तथा 3% विकलांग व्यक्ति होंगे।

सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी कॉर्पोरेट निकाय आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ देश भर के जिलों और सेक्टरों में समयबद्ध परियोजना मोड में नई दूरगामी पहल शुरू करने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत निधियों का 15%, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) विशेष परियोजना शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

4 और 5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्य, जो रोजगार की मांग करता है तथा अकुशल शारीरिक श्रम वाला कार्य करना चाहता है, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। सरकार ने 2 फरवरी 2006 को शुरू हुए इस अधिनियम के क्रियान्वयन के पहले चरण में देश में 200 जिलों में इसे क्रियान्वित किया है। पांच वर्ष की अवधि में शेष जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाना था। इसके चरण-II के अंतर्गत, 130 और जिले अधिसूचित किए गए और दिनांक 1.4.2007 से इन्हें इसके दायरे में लाया गया। दिनांक 1.4.2008 से इसके चरण-III के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले देश के शेष जिले भी अधिसूचित किए गए हैं जिससे एनआरडीजीए को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सर्वव्यापी बनाया जा सके।

6. इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण तथा मौजूदा बेकार पड़े कच्चे मकानों के उन्नयन में सहायता उपलब्ध कराना है। 1995-96 से इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) का लाभ सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों के सेवा के दौरान शहीद हुए सदस्यों के परिवारों को भी दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता के लिए इस योजना के अंतर्गत कम से कम 60% निधियां निर्धारित की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत निधियां आरक्षित हैं। बीपीएल अल्पसंख्यकों के लिए आईएवाई निधियां तथा वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

आवासीय इकाई निरपवाद रूप से लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित की जानी चाहिए। विकल्प के रूप में, इसे पति और पत्नी दोनों के नाम आवंटित किया जा सकता है। यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य न हो तो मकान पुरुष सदस्य के नाम आवंटित किया जा सकता है।

इस योजना के तहत प्रत्येक मकान के लिए मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रु. तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 38,500 रु. की सहायता दी जाती है। इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के वार्षिक आवंटन का 20% कच्चे मकानों के उन्नयन तथा/अथवा ऋण सह सब्सिडी योजना के लिए खर्च किया जा सकता है। 32,000 रु. से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को उन्नयन के लिए 15,000 रु. और ऋण सह सब्सिडी योजना के अंतर्गत 12,500 रु. तक की सब्सिडी दी जाती है। वे 50,000 रु. तक का ऋण भी मकान निर्माण के लिए ले सकते हैं। यह वित्तपोषण केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100% राशि केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में निधियां 90:10 के अनुपात में वहन की जाती है।

प्राकृतिक आपदाओं तथा दंगा, आगजनी और आग, असामान्य परिस्थितियों में पुनर्वास जैसी आकस्मिक परिस्थितियों इत्यादि से उत्पन्न होने वाली जरूरतों से निपटने के लिए आईएवाई के तहत कुल आबंटन का 5% अलग रखा जाता है। कोई जिला इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिवर्ष अपने आबंटन का 10% अथवा 50.00 लाख रु. (राज्य अंश सहित), जो भी अधिक हो, ले सकता है।

दंगा, आगजनी और आग जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में पीड़ितों को तुरंत राहत पहुँचाने के लिए जिला कलक्टरों को क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण में पीड़ितों को उपर्युक्त अधिकतम सीमा के तहत, सहायता देने के लिए जिले के आवंटन में से (जिसमें राज्य का हिस्सा शामिल है) अथवा अपने निजी संसाधनों से निधियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

7. डी.आर.डी.ए. प्रशासन की योजना का उद्देश्य, डीआरडी एजेंसियों को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक व्यवसायिक तथा कारगर बनाना है। इसे एक

ओर तो मंत्रालय के गरीबी रोधी कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए विशेषज्ञता प्राप्त एक सक्षम एजेंसी के रूप में देखा जाता है और दूसरी ओर यह इन कार्यक्रमों को जिले में गरीबी उन्मूलन के समस्त प्रयासों के साथ जोड़ते हैं। इस योजना का वित्तपोषण प्रशासनिक लागत की पूर्ति के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर किया जाता है, और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में, ये निधियां दिशानिर्देशों के अनुसार सीधे डीआरडीए को दी जाती हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, केन्द्र इस योजना के तहत 100% वित्त प्रदान करता है।

8 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संस्थान है। विकासात्मक मुद्दों पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कर्मियों की क्षमता का निर्माण इस संस्थान के मुख्य विषय हैं।

9. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का उद्देश्य विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आवश्यकता आधारित अभिनव परियोजनाओं में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लोगों को शामिल करना है। कर्पाट अधिक सामाजिक गत्यात्मकता लाकर, सामाजिक बाधाओं को कम करके एवं ग्रामीण गरीबों को सशक्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आन्दोलन शुरू करने का कार्य करता है।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान (पुरा) का उद्देश्य, निर्धारित ग्रामीण बस्तियों में वास्तविक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में अन्तर को समाप्त करना है ताकि उनकी विकास क्षमता बढ़ाकर ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोका जा सके।

11. इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण क्रियाकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करने, सूचना प्रौद्योगिकी और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिला नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का प्रावधान शामिल है।

12 तथा 13. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाली संपर्करहित बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तरांचल), मरुभूमि क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों (अनुसूची-व) के मामले में इसका उद्देश्य 250 एवं उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को जोड़ना है। आधुनिकीकरण के अंग के रूप में कम प्राथमिकता के साथ मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के उन्नयन की भी अनुमति है। इस बात की संभावना है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.67 लाख बसावटों को शामिल किया जाएगा। इसमें 2004-05 के मूल्यों पर 1,32,000 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से नए सड़क सम्पर्क के लिए 65,279 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण और 3,68,000 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का उन्नयन कार्य शामिल है।

‘ग्रामीण सड़कों’ को भारत निर्माण के छह घटकों में इस उद्देश्य के साथ अभिचिन्हांकित किया गया है कि एक हजार लोगों की आबादी वाले सभी गांव (पर्वतीय अथवा जनजातीय क्षेत्रों में 500) 2009 तक बारहमासी सड़क से जोड़ दिए जाएंगे। भारत निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2009 तक 1,46,185 कि.मी. लम्बी सड़कें बनाए जाने का प्रस्ताव है। इससे देश में सड़कों से न जुड़ी 59,564 पात्र बसावटों को लाभ पहुंचेगा। खेत से बाजार तक पूरा सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा 1,94,132 कि.मी. लम्बे ‘एसोसिएटेड थ्रू रूट्स’ के उन्नयन का भी प्रस्ताव है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 48000 करोड़ रु. के निवेश का प्रस्ताव है।

14. पूर्वोत्तर राज्यों, जिनमें सिक्किम शामिल है, के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है।